न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी : प्रमोदकुमार आर.ए.एस.

मुकदमानम्बर : 57 / 2024

वादीगण

1. अजय पुत्र शान्तिलाल
2. विजय पुत्र शान्तिलाल
3. मंजु पुत्री शान्तिलाल
4. कमीदेवी पत्नि शान्तिलाल, जातियान ओड, निवासी सांचौर तहसील–सांचौर

प्रतिवादीगण

1. शान्तिलाल पुत्र लुम्बा
2. दलपत पुत्र लुम्बा
3. गणपत पुत्र लुम्बा
4. तेजाराम पुत्र लुम्बा
5. शांता पुत्री लुम्बा
6. बबी पुत्री लुम्बा, जातियान ओड निवासी–सांचौर, तहसील सांचौर
7. मफी देवी पत्नि सगताराम चौधरी कौम कलबी, निवासी राजेश्वरपुरा
8. ममता चौधरी पत्नि ओखाराम, कौम कलबी, निवासी राजेश्वरपुरा तहसील सांचौर, जिला जालोर
9. हीरोकंवर पत्नि करणसिंह, जाति राजपुत निवासी हाडेचा तहसील चितलवाना
10. रायसिघ के चौधरी पुत्र केहराराम जाति कलबी निवासी रघुनाथपुरा
11. कालाराम पुत्र भीखा
12. जेताराम पुत्र हरदाना
13. विभाराम पुत्र हमीरा जातियान कलबी निवासी सांचौर
14. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर
15. उप पंजियक सांचौर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(घ)(ड़) सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक :–

उपस्थित :

1. वादीगण की ओर से वकील श्री गोरधनराम विश्नोई तथा रघुवीर पुरोहित।
2. प्रतिवादीगण संख्या 09 की ओर से वकील श्री सगताराम चौधरी।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ)(ड़) सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वाद विधि द्वारा वर्जित होन से चलपने योग्य नही है क्योकि आदेश 4 नियम 1 सी.पी.सी. में स्पष्ट प्रावधान है कि वाद दो प्रतिया में प्रस्तुत किया जायेगा लेकिन वादीगण ने वाद दो प्रतियो में पेश नही किया है। इसके अलावा आदेष 5 नियम 2 सी.पी.सी. में स्पष्ट प्रावधान है कि वाद के साथ

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किये जाने वाले समन के साथ प्रत्येक समन के साथ वाद की प्रति प्रस्तुत की जानी आज्ञापक है लेकिन वादीगण की ओर से वाद के साथ प्रस्तुत किये गये समनो के साथ वाद की प्रतिया पेश नही कर वादीगण ने आदेश 5 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानो की पालना नही की है। अतः वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है। ओदष 6 नियम 14 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वाद के प्रस्तुत करने वाले पक्षकार द्वारा अभिवचनो को हस्ताक्षरित करने के बाद प्रस्तुत करेगा या यदि कोई पक्षकार यदि अभिवचनो का हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो उसके कारणो को दर्शायेगा तथा उनकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिवचनो को हस्ताक्षरित करेगा। लेकिन वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के अभिवचनो को सभी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित नही किया गया है तथा न ही कोई कारण दर्शित किये है, वाद पर वादीया कमी व वादीया मंजु के अंगुष्ठ निशान होने बाबत कोई अंकन नही किया है तथा न ही अभिवचनो का सत्याापन ही किया है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 (घ)(ड़) सी.पी.सी. तथा आदेश 6 नियम 14, 15 सी.पी.सी. की पालना नही किये जाने के कारण उक्त वाद विधि की अवहेलनाओ के कारण वाद विधि वर्जित होने से खारिज फरमावे।

2. वदीगण अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधी बहस चाही गई। अतः प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादीगण का विधि की पालना के अभाव में खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिउत्तर में अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे निवेदन किया कि दावा पैतृक हको का है तथा गुणावगुण पर अंतिम निर्णय किया जाना शेष है। अतः न्यायाहित प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज फरमावे।

3. मैने दोनो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद दो प्रतियो में पेश नही किया गया है। सी.पी.सी. के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में वाद नामंजूर कर दिया जायेगा।

(क) जहॉ वह वाद–हेतुक प्रकट नही करता है।

(ख) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है [illegible] त्र अपर्याप्त स्आम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षि[illegible] द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भी[illegible] किया है, ऐसा करने असफल रहता है।

(घ) जहॉ वादपत्र में के कथन से यह कथन प्रतित होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

(ड़) जहॉ वाद दो प्रतियो में पेश नही किया जाना।

उपराक्त कारणो के अतिरिक्त वादपत्र किसी अन्य दशा में नामंजूर नही किया जायेगा। जहॉ तक हस्तगत वादपत्र का प्रश्न है, उक्त वादपत्र का अवलोकन करने पर वाद दो प्रतियो में पेश नही किया जाना पाया गया। इस वादपत्र में वादीगण अधिवक्ता द्वारा सी. पी.सी. के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ)(ड़) की पूर्ण पालना नही की गई। अतः उपरोक्त विवेचन से दावा वादीगण का अस्वीकार योग्य है।

4. फलस्वरूप वादपत्र वादीगण का सी.पी.सी. के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ)(ड़) की पालना के अभाव में एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे। आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोदकुमार)
सहायक कलक्टर सांचौर

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner